

अ धि सू च ना

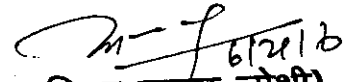
क्रमांक : ०७२.../स्था.प/2016

दिनांक : ०८-०२-२०१६

दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का अधिनियम सं. २) की धारा १३ की उपधारा (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अनुरोध पर निम्नलिखित परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को, जिन्हे कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक F.3/2(3)Pers/A-I/2014 दिनांक २७.११.२०१५ द्वारा उनके नाम के आगे अंकित जिले के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, ऐसे मामलों के संबंध में जो उनके न्यायिक प्रशिक्षण की अवधि में संबंधित जिले के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अन्तरित किये जायेंगे, संहिता के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग की प्रदत्त सभी शक्तियां उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से एक वर्ष या उनकी परिवीक्षाधीन अवधि, जो भी पूर्व हो, तक प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकार क्षेत्र
१.	Shri Ashish Modi	Jaipur

आज्ञा से,

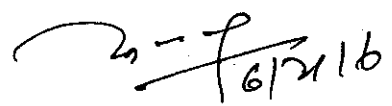

(रविन्द्र कुमार जोशी)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक : Gen./XV/38/1975/ १०१५-१०

दिनांक : ०८-२-१६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
२. संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-१) विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक प. ३/२(३)कार्मिक/क-१/२०१४ दिनांक ०८.०१.२०१६ के सन्दर्भ में।
३. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर/जयपुर जिला।
४. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला।
५. निदेशक, राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
६. जिलाधीश जयपुर।
७. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)
०८/२/१६